संख्या-33/2017/734/41-2017-22 यो0/16

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 09 जून, 2017**

विषय- भारत सरकार के प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश शो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-671/6-1-1 (487)/2017, दिनांक 16-05-2017 एवं पत्र सं0-647/केन्द्रीय योजना/2017, दिनांक 03-06-2017 का संदर्भ् ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रासाद योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के सारनाथ में ध्वनि एवं प्रकाश शो हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत इकाई, वाराणसी द्वारा गठित आगणन रू0 859.34 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा परियेाजना हेतु स्वीकृत रू0 733.66 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 171.87 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-73/2016/1062/41-2016-22यो0 दिनांक 16-06-2016 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में आगणन का पुन: परीक्षण करते हुए रू0 795.28 लाख का संशोधित आगणन प्रस्तुत किया गया, जिसका संगत नियमों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त रू0 788.47 लाख अनुमन्य पाया गया।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-73/2016/1062/41-2016-22यो0 दिनांक 16-06-2016 द्वारा प्रदान की गयी प्रशाकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुक्रम में अब उक्त कार्य हेतु रू0 788.47 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 171.87 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 616.60 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 308.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित उक्त योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्वीकृति पत्र सं0-5 प्रासाद (11)/2015, दिनांक 17-03-2016 में अनुमोदित कार्यमदों पर प्रदान की गयी स्वीकृत एवं निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ही उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्तिच किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रस्तर-3 में द्वितीय किश्त की धनराशि इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही कि भारत सरकार से इसकी प्रतिपूर्ति अनिवार्य रूप से करा ली जायेगी।

(3) प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2017 बी0-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(9) प्रश्नगत कार्य का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्परीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(10) प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 मे स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या ई-7-478/दस-2017 दिनांक 09 जून 2017 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-33/2017/734(1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत इकाई, वाराणसी।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।